प्राचीन कलात्मक आमोद-प्रमोद एवं मनोरंजन

भरतनाट्यशास्त्र, कामसूत्र, ललित विस्तर, कादम्बरी, रघुवंश, कुमारसम्भव, राजशेखरकृत काव्ययीमांसा, मास, महाकवि कालिदास के द्वारा रचित ग्रन्थों के अवलोकन से एवं संगीत के प्राचीन प्रमाणिक ग्रन्थ 'संगीतरत्नाकर' के श्लोक एवं उद्धरणों से उस काल के भारतीय नागरिकों के संगीतप्रेम का सहज अनुमान लगाया जा सकता है। राजशेखर की 'काव्यमीमांसा' कृति में एक सभा का वर्णन आया है, जिसमें दरबार के मध्य ऊँचे सिंहासन के ऊपर की ओर संस्कृति भाषा के कवि, उनके पार्श्व में गायक, वादक, नर्तक, कुशीलव, वाग्जीवन, नट आदि का स्थान सुनिश्चित था। राजशेखर के विवरण से यह मुख्यतः कवि मभा है, किन्तु संगीतज्ञों की उपस्थिति से अनुमान होता है कि इस प्रकार की सभा में अवसर विशेष पर नृत्य,संगीत का भी आयोजन होता रहता था। जो स्थायी संगीत भवन थे, उनमें मृदंगस्थापन की जगहें सुनिश्चित होती थीं जिसका प्रमाण 'कादम्बरी' में 'संगीतभवनमिवानेक स्थानस्थापित मृदंगम्' की उपमा से मिलता है। यह वाद्य मृदंग उस काल के उत्सवों का प्रमुख उठते ही 'प्रसक्त संगीत-मृदंगघोष' कहकर उस ओर ध्यान आकर्षित कराया है।

प्राचीन ग्रन्थों के अवलोकन से पता चलता है कि संगीतकला उस समय केवल अभिजात्य वर्ग में ही सीमित थी, इसीलिए श्रेष्ठि जनों, राजा, सामन्तों, राजवंशीय युवकों, धनिकों एवं बाद के काल में, राजाओं, नरेशों, राजकुमारों, नवाबों, ताल्लुकेदारों, जागीरदारों, जमीनदारों, रईसों की नायिकाभेद प्रवीणा प्रेमिकाओं में नृत्य, संगीत कला सीखने की विशेष अभिरूचि एवं उत्कंठा थी, जिन्होे उस काल के समाज का आवश्यक अंग माना जाता था और जिन्हें समाज में विशेष सम्मान प्राप्त थआ। राजशेखर की काव्यमीमांसा में इन गणिकाओं के उत्तम कवि होने का उल्लेख है। इनके बच्चों को नागरिकों के बच्चों के साथ पढ़ने का अधिकार था। गणिका समस्त राष्ट्र की सम्पत्ति मानी जाती थी। बौद्धकालीन ग्रन्थों एवं संस्कृत के अनेक नाटकों में उसे 'नगरश्री' कहा गया है। वेश्याओं में सर्वगुणसम्पन्नान सर्वश्रेष्ठ सुन्दरी को 'गणिका' की आख्या मिलती थी। 'ललित विस्तर' आदि बौद्ध ग्रन्थों के काव्यों से वे उस काल की रईसी का आवश्यक अंग थीं, जो अपने नृत्य, संगीत, विद्या, कला के साथ-साथ छन्द आख्यायिका, नाटक, काव्य-समस्या, मानसी काव्यक्रिया, पुस्तक-वाचन, दुर्वाचकयोग, देश, भाषा विज्ञान, सम्बन्धी आलोचनाओं एवं रसालापों से नागरिकों का बहुविधि मनोरंजन कर राजा तथा श्रेश्ठिजनो का आदर प्राप्त करती थीं।

'कामसूत्र' ग्रन्थ के अवलोकन से ज्ञात होता है कि उस युग में गान्धर्वशाला में प्रत्येक नागरिक के लड़कों को जो बातें सीखनी आवश्यक थीं, उसमें गीत, नाट्य, नृत्य, आलेख प्रमुख थीं। वाद्यों में वीणा, डमरू वंशी आदि का उल्लेख है। डमरु भारतवर्ष का प्राचीनतम अवनद्ध वाद्य है, जिसके आधार पर विश्व के सर्वोतम वैज्ञानिक वाद्य मृदंग का विकास हुआ। अन्तःपुर की कुमारियाँ विवाहिता वधुओं से अधइक कला प्रवीणा होती थीं। वे वीणा, वंशी आदि वाद्यों में निपुण, गान विद्या, में सुदश, सुभाषितों का पाठ करने में सक्षम तथआ अनेक प्रकार की कलाओं में प्रवीण होती थीं। प्राचीन भारतीय नागरिक नृत्य, नाट्य, गान, उत्सवों का उल्लास के साथ आनन्द लेते थे। राज्य की ओर से पहाड़ी की गुफाओं को काटकर तराशकर दुमंजिले प्रेक्षागृह बनाए जाते थे, जहाँ निश्चित तिथियों, पर्वों एवं विशेष अवसरों पर नृत्य, गायन, वादन, अभिनय आदि आयोजित होते थे। ऐसे ही एक प्रेक्षागृह का मग्नावशेष छोटा नागपुर की रामगढ़ पहाड़ी पर प्राप्त हुआ है। विशेष मंदिरों में भी धार्मिक उत्सवों, विवाह, पुत्रजन्मोत्सव, गृह प्रवेश आदि मागंलेक अवसरों पर नृत्य, गान आदि का आयोजन होता रहता था। इन अवसरों पर सम्मिलित दर्शकों में जनसामान्य भी होते थे, किन्तु अधिकांशतः रसशास्त्र के नियमों के ज्ञाता होते थे। हर्ष का लिदास आदि के प्रसंग में अभिरूप-भूमिष्ठा एवं गुणग्राहिणी परिषद् का उल्लेख मिलता है।

भारतीय समाज की यह विशेषता रही हि ऊँची से ऊँची सुरूचि सम्पन्नता भी जनसामान्य में घुली पाई जाती थी, यद्यपि शास्त्रीय विचार तथा तर्कशैली सीमित थी। नृत्य, संगीत, अभिनय से जनसाधारण भी परिचित थे। शासमत्रीय संगीत,

© Copyright IGNCA, Sunil Jha
All rights reserved. No part of this may be reproduced or transmitted in any form or by any means, electronic or mechanical, including photocopy, recording or by any information storage and retrieval system, without prior permission in writing.

वाराणसी वैभव या काशी वैभव - सुनील कुमार झा

काशी/वाराणसी की संगीत परम्परा

संस्कृत के नाटकों एवं अभिनय के द्रष्टा को कैसा पारंगत होना चाहिए, इ सका उल्लेख 'नाट्यशास्त्र, पृष्ठ २७-५१' में प्राप्त है। 'नाट्यशास्त्र' के अनुसार लोकजीवन ही नाट्य प्रयोग की वास्तविक प्रेरणा भूमि है। विवाहोत्सव, राजकीय उत्सवों आदि प्रसंगों में समृद्ध परिवारों के बाहरी बैठक खआनों से अन्तःपुर तक नृत्य-गान का जाल विछ जाता था।७ स्थान-स्थान पर पुण्य विलासिनियों (वेश्यओं) के नृत्य-संगीत का आयोजन होता था, उनके साथ मन्द भाव से आस्काल्यमान-आलिंग्यक नामक वाद्य बजते रहते थे। झनझनाती हुई झल्लरी की ध्वनि के साथ कलकांस्य और कोशई (कांसे के दण्ड जोड़ी) का क्वणन अपूर्व ध्वनिमाधउरी की सृष्टि करते थे, साथ-साथ ताल देने से दिङमण्डल कल्लोलित होता रहता था, निरंतर ताड़न पाते हुए तंत्रीपटह की गुंजार से एवं मृदुमन्द झंकार के साथ झंकृत 'अलावुवीणा' की मनोहर ध्वनि से वे नृत्य और भी मोहक, सजीव और आकर्षक हो जाते थे। इस प्रकार का वर्णन 'हर्षचारि, चतुर्थ अच्छ्वास' में मिलता है। इसी प्रकार के नृत्य-उत्सव का एक भित्ति चित्र पवाथा (ग्वालियर राज्य) के तोरण पर अंकित है।

'कामसूत्र' से हमें कई प्रकार के नृत्य, गान, रसालाप संबंधी सभाओं का पता चलता है। एक तरह की सभा का नाम 'समाज' था। यह 'समाज' सभा सरस्वती-मंदिर में प्रत्येक पक्ष में एक नियत तिथि पर आयोजित होती थी, जिसमें भाग लेने वाले निश्चय ही अत्यन्त सुसंस्कृत नागरिक हुआ करते थे। इ स सभा में गायन-वादे, नर्तन करने वाले कलाकार नियुक्त हुआ करते थे। समय-समय पर यहाँ अन्य स्थानों से पधारे अतिथि कुशीलव या संगीत के मान्य कलाकार अपनी कला का उत्कृष्ट प्रदर्शन करते थे, जिन्हे पुरस्कृत करने की भी प्रथा प्रचलित थी। किसी विशिष्ट आयोजन में इन 'समाजों' में कई स्वतंत्र एवं आगंतुक गायक, वादक, नर्तक सम्मिलित भाव से अपनी कला का प्रदर्शन करते थे। इ सका सम्मान करना समूचे गण अर्थात् नागरिक समाज का धर्म हुआ करता था। सरस्वती-मंदिर के अतिरिक्त भी सिसी देव-मंदिर अथवा सुरूचि सम्पन्न नागरिक अथवा सिसी गणिका के भव्य आवास पर भी इस प्रकार की 'समाज और गोष्ठी' का आयोजन सुरूचिसम्पन्न नागरिकों के मनोविनेद के लिए होता रहता था, जिसमें चुने हुए रसिक ही भाग लेते थे। इस प्रकार की गोष्ठियाँ उन दिनों की रईसी का प्रमुख अंग थी और अत्यधिक प्रचलित थी। अशोक के अनेक लेखों में उनका उल्लेख मिलता है।

'ललितबिस्तर' ग्रन्थ में राजकुमारी को गणिका के समान शास्त्रज्ञ बताया गया है। 'मृच्छकटिकम्' नाटक में वसन्तसेवा नामक गणिका का प्रमवृत्तान्त दिया गया है, किन्तु सम्पूर्ण नाटक में एक बार भी वसन्त सेना का नाम लघुभाव से नहीं लिया गया है। अदालत के प्रधान अधिकारी से लेकर सायस्थ तक उसके प्रति आदरभाव प्रकट करते हैं। उसकी वृद्धा माता को 'आर्या' कहकर सम्बोधित करते हैं। वैशालीकी आम्रपाली (अम्बपालिगणिका) समस्त नगरी के गर्व की वस्तु थी। स्मृति ग्रन्थों में उल्लेख अभिनय आदि का पेशा करने वाले पुरूष कलाकारों की मर्यादा भी गणिका की तरह ही क्रमशः अच्छी होती गई। एक बार भरत पुत्रों ने ऋषियों के अंगहार के अभिनय में अग्राह्य, दुराचारपूर्ण, ग्राम्यधर्म प्रवर्तक, निष्ठुर एवं अप्रशस्त काव्य की थी, जिससे कुद्ध होकर ऋषियों ने शाप दिया। उस समय तक ये लोग 'द्विज' जो शापवश उपाख्यानणाम् (स्तुति-गायक, खुशामदी, चाटुकार अथवा कामविलासी) हो गए। देवताओं के अनेक प्रयत्न करने पर भी ऋषियों ने उन्हें शापमुक्त नहीं किया। भरतमुनि ने अभिनय के पवित्र कार्य से इस पाप का प्रायश्चित करतो रहने की सलाह अपने पुत्रों को दी है।

भरत के 'नाट्यशास्त्र', नन्दिकेश्वर के 'अभिनय-दर्प्ण' वात्स्यायन के 'कामसूत्र' कौटिल्य के अर्थशास्त्र, मास के अनेक नाटकों, पालीसाहित्य, जैन बौद्ध आगमों आदि अनेकानेक प्राचीन ग्रन्थों के अवलोकन से यह ज्ञात होता हैं कि भारतवर्ष के नागरिक के प्रत्येक कण में जीवन था, पौरूष था, कौलीन्यगर्व था और सुन्दर ढ़ंग से रक्षण पोषण के सामर्थ्य का सम्मान था। ईस्वी सन् के आसपास अपनी कुशलता से भारतवर्ष सम्पूर्ण ज्ञात जगत् की सम्याता का सिरमौर बनकर उन पर अपना नियंत्रण स्थापित करके अपना आधिपत्य जमा चुका था। उस समय इस देश में एक ऐसी नागरिक सभ्यता अपनी जड़ जमा चुकी थी, जो सौन्दर्य की सृष्टि, रक्षण एवं सम्मान में अपनी उपमा स्वयं थी। उस समय के काव्य, नाटक, आख्या, आख्यायिका, चित्र, मूर्ति, जीवन दर्शन एवं संगीत प्रसाद को देख विश्व अवाक् रह जाता है। उस युग की प्रत्येक वस्तु में छन्द है, राग है, रस है। उस समय भारतीयों ने जीने की कला आविष्कृत की थी, यह काल बहुत दिनों तक

© Copyright IGNCA, Sunil Jha
All rights reserved. No part of this may be reproduced or transmitted in any form or by any means, electronic or mechanical, including photocopy, recording or by any information storage and retrieval system, without prior permission in writing.

वाराणसी वैभव या काशी वैभव - सुनील कुमार झा

काशी/वाराणसी की संगीत परम्परा

सम्य संसार का सिर मौर बनकर जीता रहा।

© Copyright IGNCA, Sunil Jha
All rights reserved. No part of this may be reproduced or transmitted in any form or by any means, electronic or mechanical, including photocopy, recording or by any information storage and retrieval system, without prior permission in writing.